रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 20, 2019/फाल्गुन 1, 1940
No. 114] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 2019/PHALGUNA 1, 1940

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2019

**सा.का.नि. 130(अ).**—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 26, धारा 27 की उप धारा (1), धारा 28, धारा 29, धारा 31 की उप धारा (2), धारा 39 की उप धारा (3) व उप धारा (4), धारा 40 की उप धारा (6) और धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और आरंभ:-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) द्वितीय संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2.** कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 के अनुलग्नक में प्ररूप पीएएस-3 में, क्रम संख्या 6 के लिए, मद (ख) में दूसरे चेक बॉक्स के लिए "प्रति व्यक्ति बीस हजार से कम आकार वाले आवेदन के साथ नहीं आबंटित प्रतिभूतियां" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा.सं.1/21/2013-सीएल-V]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

**टिप्पण**:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 31 मार्च, 2014 की अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 251(अ) द्वारा प्रकाशित हुए थे और इसके पश्चात् निम्न रूप से संशोधित किये गए थे:-

(1) अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 424(अ) तारीख 30 जून, 2014 द्वारा;

(2) अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 430(अ) तारीख 7 मई, 2018 द्वारा;

(3) अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 752(अ) तारीख 7 अगस्त, 2018 द्वारा;

(4) अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 853(अ) तारीख 10 सितंबर, 2018 द्वारा और

(5) अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 43(अ) तारीख 22 जनवरी, 2019 द्वारा।

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2019

**G.S.R. 130(E).—**In exercise of the powers conferred by section 26, sub-section (1) of section 27, section 28, section 29, sub-section (2) of section 31, sub-sections (3) and (4) of section 39, sub-section (6) of section 40 and section 42 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, namely:-

**1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Second Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2.** In the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, in the Annexure, in Form PAS-3, against serial number 6, in item (b), the words "not allotted securities with an application size of less than twenty thousand per person" against the second check box shall be omitted.

[F. No. 1/21/2013-CL-V]
K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

**Note:—**The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 251(E), dated the 31st March, 2014 and were subsequently amended:-

(1) Vide notification number G.S.R. 424(E), dated the 30th June, 2014;

(2) Vide notification number G.S.R. 430 (E) dated the 7th May, 2018;

(3) Vide notification number G.S.R. 752 (E) dated the 7th August, 2018;

(4) Vide notification number G.S.R. 853 (E) dated the 10th September, 2018; and

(5) Vide notification number G.S.R. 43 (E) dated the 22nd January, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.21 21:30:47 +05'30'